

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट –कोतवाली कायमगंज

दिनांक :- 03.10.2026



कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा 35 साल से फरार चल रहे मफरूर/स्थायी वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्रीमती अनुपमा कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री यमुना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण में कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा दिनांक 02.10.2026 को मु0अ0सं0 108/1991 धारा 364 भादवि से सम्बन्धित विगत 35 वर्षों से फरार चल रहे मफरूर अभियुक्त नन्हे उर्फ नसीम को गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त का नाम पता:-

01. नन्हे उर्फ नसीम पुत्र दुल्ला बंजारा उर्फ अब्दुल्ला निवासी ग्राम छतरई कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़।

घटना का संक्षिप्त विवरण – दिनांक 09.03.1991 को वादी द्वारा कोतवाली कायमगंज पर अभियुक्तगणों द्वारा वादी की पत्नी का रात्रि के समय अपहरण कर लेने के सम्बन्ध में तहरीर दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कायमगंज पर मु0अ0सं0 108/1991 धारा 364 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान अपहृता की बरामदगी के आधार पर 10 अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आये थे। अभियुक्त नन्हे उर्फ नसीम उपरोक्त गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपने संभावित ठिकानों से फरार चल रहा था। पुलिस द्वारा इसके मूल निवास व

अन्य स्थानों पर निरंतर दबिश दी गई। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 28.10.2022 को स्थाई वारण्ट अन्तर्गत धारा 299 सीआरपीसी के तहत मफरूर घोषित किया गया था। जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम पिछले कई वर्षों से लगातार प्रयास कर रही थी। उक्त आदेश के क्रम में कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा दिनांक 02.10.2026 को अभियुक्त नन्हें उर्फ नसीम उपरोक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त नन्हें उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 108/91 धारा 364/147/149 भादवि थाना कायमगंज जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली कोतवाली कायमगंज पुलिस टीम:-

- 1- प्र0नि0 श्री विनोद कुमार शुक्ल
- 2- उ0नि0 श्री शिव कुमार
- 3- का0 विकास बाबू

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।